न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,टोंक

(रामरतन सौकरिया, आर0ए0एस0 द्वारा अध्यासित)

प्रकरण संख्या 19/2014

प्रविष्टि दिनांक 09.10.2014

1. शिवराज पुत्र विद्याधर शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम काचरिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

2. पन्नालाल पुत्र पोखरलाल जाति गुर्जर निवासी काचरिया तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

.....प्रार्थीगण

बनाम

1–ग्यारसी देवी पत्नी स्व. सीताराम जाति माली निवासी हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

2–भू–आवंटन सलाहकार समिति, जरिये सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह जिला टोंक राज.

..... प्रतिपक्षीगण

आवेदन अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–आवंटन नियम 1970

विरूद्ध आवंटन आदेश दिनांक 22.12.2001

उपस्थिति : (1) श्री जितेन्द्र जैन, अभिभाषक आवेदक

निर्णय

दिनांक 25/4/25

संक्षेप मे प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त में सार इस प्रकार है सहायक कलेक्टर, टोडारायसिंह ने दिनांक 22.12.2001 को ग्राम हमीरपुर में प्रतिपक्षी सं. 1 को आराजी खसरा नं. 3570 मिन रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया था। आवेदक ने उक्त आवंटन को विधि विधान एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं तलबी जरिये नोटिस प्रतिपक्षीगण की गई किन्तु प्रतिपक्षी सं. 1 एवं उनके अभिभाषक के बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण प्रतिपक्षी सं. 1 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई। आवंटन पत्रावली तलब की गई एवं अभिभाषक आवेदक की बहस सुनी गई एवं अभिभाषक प्रतिपक्षी सं. 1 के जवाब का अध्ययन किया।

अभिभाषक आवेदक ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रतिपक्षी सं. 1 को किया गया आवंटन विधि विधान एवं नियमों के प्रतिकूल होने से निरस्त योग्य है। हाल खसरा नं. 3570 के साबिक खसरा नं. 3205 में से 3 बीघा 18 बिस्वा भूमि दिनांक 12.05.1966 को प्रार्थी सं. 2 के पिता पोखरलाल पुत्र

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

गंगाराम को आवंटन की गई थी, तब से लेकर उक्त भूमि पर पहले पोखरलाल तथा पोखरलाल की मृत्यु के बाद से लेकर आज तक प्रार्थी सं. 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है. इस प्रकार दिनांक 22.12.2001 को भूमि मौके पर रिक्त नहीं थी तथा सेटलमेन्ट में गलत रूप से सिवाचयक दर्ज हो जाने के कारण जमाबन्दी का नाजायज फायदा उठाकर प्रतिपक्षी नं. 2 राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके प्रतिपक्षी सं. 1 ने बिना कब्जे के आवंटन करवा लिया है जो निरस्त योग्य है। प्रतिपक्षी सं. 1 का आवंटन की दिनांक से लेकर आज तक भूमि पर कभी कब्जा नहीं रहा है बल्कि इस भूमि पर वर्षों से आज तक प्रार्थीगण का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। प्रतिपक्षी सं. 1 ने आवंटन शर्तों की पालना नहीं की है। प्रतिपक्षी सं. 1 सदभावी कृषक तथा भूमिहीन काश्तकार नहीं है, शर्तों की पालना में नियमानुसार आवंटी द्वारा काश्त न करने से आवंटन यथावत नहीं रखा जा सकता। आवंटन से पूर्व सलाहकार समिति ने मौके की वास्तविक जांच नहीं करायी, पटवारी हल्का द्वारा दी गई रिपोर्ट गलत है एवं चुपचाप बनाकर दी गई है। प्रार्थीगण को आवंटन से पूर्व सुनवाई का अवसर नहीं दिया है तथा मौके पर से बेदखल भी नहीं किया है जबकि प्रार्थी नं. 2 के पूर्वज ने मेहनत व धन खर्च करके इस भूमि को काश्त योग्य बनाया था, वर्षों से काश्त करते चले आ रहे है तथा वर्तमान में प्रार्थीगण काबिज है। एक बार आवंटन की हुई भूमि का पुनः आवंटन नहीं किया जा सकता है।

आवंटन से पूर्व कब्जे की वास्तविक जांच न करने के साथ–साथ सलाहाकार समिति द्वारा पुराने कब्जे व आवंटन पर कतई ध्यान नहीं दिया गया। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रतिपक्षी सं. 1 को किया गया आवंटन निरस्त किया जावें।

अभिभाषक प्रतिपक्षी सं. 1 ने अपने जवाब में अंकित किया ग्यारसी देवी को आवंटन हुए 19 वर्ष से अधिक का समय हो चुका है, तब से लेकर अब तक लगातार ग्यारसी देवी काबिज चली आ रही है जिसके खिलाफ माननीय न्यायालय में उनवानी प्रकरण पोखर लाल बनाम ग्यारसी देवी प्रकरण संख्या 04/2002 में भी आवंटन निरस्त करने हेतु पोखर लाल के द्वारा आवेदन पेश किया गया था, जो दिनाक 16.01.2003 को पोखर लाल का प्रार्थनापत्र सारहीन होने के कारण निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद उनवानी प्रकरण शिवराज आदि बनाम प्रकाश आदि का प्रार्थनापत्र पेश किया गया था, जिसका निस्तारण माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थी आवेदक का, आवेदन पत्र सारहीन होने के कारण खारिज कर दिया गया था। इस प्रकार माननीय न्यायालय मे पूर्व में ही उक्त खसरा नम्बर एंव उक्त उनवानी प्रकरण के आवेदन पेश हो चुके है, जो माननीय न्यायालय द्वारा निरस्त किये जा चुके है. इसके बावजूद भी पुनः यह तीसरा आवेदन शिवराज के द्वारा पेश किया गया है, जबकि पूर्व में ही इस प्रकरण से सम्बन्धित आवेदन में प्रार्थनापत्र खारिज किये जा चुके है, इस प्रकार उनवानी प्रकरण में जो शिवराज के द्वारा आवंटन ग्यारसी देवी को निरस्त करने हेतु पेश किया गया है, वह अन्तर्गत धारा 11 सी पी सी के प्रावधानो के तहत पूर्व में न्यायालय द्वारा के श्रवणाधिकार में नहीं है। उक्त आवंटन को निरस्त करने हेतु पेश प्रकरण को न्यायालय द्वारा पूर्व में ही सुना जा चुका है और अन्तिम रूप से निर्णय दिनाक 16.03.2003 को माननीय न्यायलाय द्वारा खारिज किया जा चुका है, इसलिए माननीय न्यायालय को इस प्रकरण को सुनने का क्षेत्राधिकार नहीं होन के कारण आवेदक शिवराज द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रार्थनापत्र अन्तर्गत नियम 14 (4) राजस्थान भू आवंटन नियम को अन्तर्गत धारा 11 सीपीसी खारिज किया जाना आवश्यक एंव न्याय संगत है। अतः प्रार्थनापत्र पेश कर निवेदन है कि आवेदन का आवेदन माननीय न्यायालय द्वारा दो

बार आवेदन सारहीन होने के कारण खारिज कर दिये जाने के कारण व धारा 11 सी पी सी के प्रावधानो के तहत खारिज फरमाये जाने का आदेश प्रदान करें ।

हमने विद्वान अभिभाषक आवेदक की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर आये सबूत/दस्तावेजात एवं आवंटन पत्रावली, प्रतिपक्षी के जवाब का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। प्रकरण से संबंधित पत्रावली का अवलोकन करने पर ज्ञात हुआ कि सहायक कलेक्टर, टोडारायसिंह ने दिनांक 22.12.2001 को ग्राम हमीरपुर में प्रतिपक्षी सं. 1 को आराजी खसरा नं. 3570 मिन रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि का आवंटन किया था। आवेदक ने उक्त आवंटन को विधि विधान एवं नियमों के प्रतिकूल बताते हुए आवंटन आदेश को निरस्त किये जाने हेतु यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है। उक्त आवंटन के विरूद्ध पूर्व में ही पोखर लाल पुत्र गंगाराम जाति गूजर द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.01.2003 को निर्णय किया जा चुका है जिसमें उक्त आवंटन को यथावत रखा गया था। अब आवेदक शिवराज व पन्नालाल ने पुनः उसी आवंटन को निरस्त कराने हेतु प्रकरण न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया है जो कि Res-judicata की श्रेणी में आता है।

"सी.पी.सी. की धारा 11 के तहत जब किसी वाद या विवाधक को किसी न्यायालय द्वारा एक बार निस्तारित कर दिया जाता है तो उसी वाद या विवादक को या आधार को लेकर वही पक्षकार या उनके हित प्रतिनिधि या उनके उत्तराधिकारी दोबारा उसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं कर सकते तथा ना ही न्यायालय ऐसे आवेदन या विवाधक को सुनेगा"।

"Res judicata.-No Court shall try any suit or issue in which the matter directly and substantially in issue has been directly and substantially in issue in a former suit beween the same parties or between parties under whom they or any of them claim, litigating under the same title, in a Court competent to try such subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised, and has been heard and finaly dicided by such Court".

चूंकि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4)भू–आवंटन नियम 1970 में वर्णित आराजी का न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 16.01.2003 को निर्णय पारित किया जा चुका है जिसमें उक्त आवंटन को यथावत रखा गया था। प्रार्थी को न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 16.01.2003 के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में चारा–जोही करना चाहिए था, परन्तु आवेदक द्वारा उसी भूमि को लेकर आंवटन निरस्त कराने हेतु प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा में पेश किया गया है जो कि Res-judicata की श्रेणी में आता है।

उक्त आवंटन दिनांक 22.12.2001 को किया गया था जिसे निरस्त कराने हेतु उक्त प्रार्थना पत्र लगभग 14 वर्षों बाद न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। अभिभाषक आवेदक ने आवेदन पेश करने में हुई देरी के लिए कोई ठोस कारण/आधार न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। आवेदक ने विवादित भूमि पर अपना स्वामित्व अधिकार होने के संबंध में भी कोई ठोस सबूत/प्रमाण न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये है। आवेदक ने ऐसा कोई साक्ष्य–सबूत प्रस्तुत नही किया है जिसके आधार पर

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
टोंक

आवंटन निरस्त किया जा सके। सहायक कलेक्टर, टोडारायसिंह द्वारा दिनांक 22.12.2001 को ग्राम हमीरपुर में प्रतिपक्षी सं. 1 को आराजी खसरा नं. 3570 मिन रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि का किया गया आवंटन आवंटन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

फलतः प्रार्थना–पत्र प्रार्थी अस्वीकार किया जाकर दिनांक 22.12.2001 को प्रतिपक्षी सं0 1 ग्यारसी देवी पत्नी स्व. सीताराम जाति माली निवासी हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक को आराजी खसरा नं. 3570 मिन रकबा 0.20 हैक्टेयर भूमि वाके ग्राम हमीरपुर तहसील टोडारायसिंह का किया गया भूमि का आवंटन यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 25/4/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर टोंक

([illegible])
अति.जिला कलेक्टर,टोंक